संख्या-16/2018/1302/एक-4-2018-रा0-4

प्रेषक,

श्याम मोहन तिवारी,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

2-जिलाधिकारी, बिजनौर, वाराणसी, गोरखपुर, जालौन, महोबा, मुरादाबाद, चन्दौली, अमेठी, मिर्जापुर, सन्तकबीर नगर।

राजस्व अनुभाग-4 लखनऊ दिनांकः 30 जुलाई, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिला प्रशासन योजनान्तर्गत विभिन्न जनपदों की तहसीलों में कार्यरत उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदारो के निष्प्रयोज्य वाहनो के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष2018-19 में जिला प्रशासन योजनान्तर्गत मोटर गाड़ियो का क्रय मद में प्राविधानित धनराशि रूपयें 614.28 लाख में से अवशेष धनराशि रूपयें 4,76,26,716/- के सापेक्ष संलग्न परिशिष्ट-क में उल्लिखित जनपदों के उपजिलाधिकारी एवं तहसीलदार के निष्प्रयोज्य वाहनो के प्रतिस्थापन स्वरूप 25 टाटा सूमो गोल्ड के क्रय हेतु प्रति वाहन रूपयें 5,99,359/- की दर से कुल 1,49,83,975/-(रूपयें एक करोड़ उन्चास लाख तिरासी हजार नौ सौ पिचहत्तर मात्र) की धनराशि स्वीकृत किये जाने की निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

1-प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहनो के क्रय किये जाने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि निष्प्रयोज्य घोषित कर नीलाम किये गये वाहन सरकारी वाहन ही थे तथा वाहन के प्रतिस्थापन में द्विरावृत्ति नही हो रही है।

2-उक्त वाहनो का क्रय निर्धारित क्रय प्रक्रिया एवं सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए वाहन का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

3-भारत सरकार द्वारा डी0जी0एस0 एण्ड डी0 दर अनुबन्ध की व्यवस्था समाप्त करते हुए गवर्नमेन्ट ईमार्केट प्लेस जी0ई0एम0 पोर्टल के माध्यम से क्रय किये जाने की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है। अतः उक्त वाहनो का क्रय स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत ही जी0ई0एम0 पोर्टल की दरे अथवा नवीनतम डी0जी0एस0 एण्ड डी0 की दरें जो भी न्यूनतम हो और लागू हो पर किया जायेगा।

4-संलग्न परिशिष्ट-क के अनुसार स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष वाहनो का क्रय अधिकतम 01 माह में करके उपयोगिता प्रमाणपत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

2- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-50, लेखाशीर्षक-2053-जिला प्रशासन-093-जिला स्थापनाएं-03-कलेक्ट्री स्थापना-14 मोटर गाड़ियो का क्रय मद से किया जायेगा।

3-स्वीकृत धनराशि से सम्बन्धित बजट जनपदों को आनलाइन करने की कार्यवाही राजस्व परिषद द्वारा तत्काल सुनिश्चित की जायेगी।

4-यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-5-1157/दस-2017 दिनांकः 27 जुलाई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहें है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

संख्या-16/2018/1302(1)/एक-4-2018, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं परीक्षा) (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
4- वित्त (व्यय नियन्त्रण)अनुभाग-5।
5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2।
6- राजस्व अनुभाग-6।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>परिशिष्ट-क</u>

शासनादेश संख्या-16/2018/1302/एक-4-2018 दिनांकः 30 जुलाई, 2018 का संलग्नक।

क्र	जनपद/ तहसील	निष्प्रयोज्य वहन संख्या	अनुमन्य/स्वीकृत वाहन	निर्धारित दर (पूर्णांकित)
1	2	3	4	5
1	बिजनौर	यू0पी0-20ए.जी.0019	टाटा सूमो गोल्ड	599359
2	बिजनौर	यू0पी0-20ए.जी.0020	टाटा सूमो गोल्ड	599359
3	बिजनौर	यू0पी0-20ए.जी.0021	टाटा सूमो गोल्ड	599359
4	बिजनौर	यू0पी0-20ए.जी.0031	टाटा सूमो गोल्ड	599359
5	बिजनौर	यू0पी0-20ए.जी.0032	टाटा सूमो गोल्ड	599359
6	वाराणसी	यू0पी0-65एल.6834	टाटा सूमो गोल्ड	599359
7	वाराणसी	यू0पी0-65एक्स-3130	टाटा सूमो गोल्ड	599359
8	वाराणसी	यू0पी0-65एक्स-3132	टाटा सूमो गोल्ड	599359
9	वाराणसी	यू0पी0-65ए.जी.-0035	टाटा सूमो गोल्ड	599359
10	गोरखपुर	यू0पी0-53ए.जी.-0236	टाटा सूमो गोल्ड	599359
11	जालौन	यू0पी0-92जी.-0043	टाटा सूमो गोल्ड	599359
12	जालौन	यू0पी0-92जी.-0156	टाटा सूमो गोल्ड	599359
13	महोबा	यू0पी0-95जी.-0013	टाटा सूमो गोल्ड	599359
14	मुरादाबाद	यू0पी0-21एजी.-0073	टाटा सूमो गोल्ड	599359
15	मुरादाबाद	यू0पी0-21एजी.-0075	टाटा सूमो गोल्ड	599359
16	मुरादाबाद	यू0पी0-21एजी.-0071	टाटा सूमो गोल्ड	599359
17	चन्दौली	यू0पी0-67जी.-0052	टाटा सूमो गोल्ड	599359
18	अमेठी	यू0पी0-44बी.-5000	टाटा सूमो गोल्ड	599359
19	अमेठी	यू0पी0-33सी.-2501	टाटा सूमो गोल्ड	599359
20	अमेठी	यू0पी0-44बी.-5200	टाटा सूमो गोल्ड	599359
21	अमेठी	यू0जी0के0-7387 टाटा सूमो गोल्ड	टाटा सूमो गोल्ड	599359
22	मिर्जापुर	यू0पी0-63डी-1112	टाटा सूमो गोल्ड	599359
23	सन्तकबीर नगर	यू0पी0-58जी-0015	टाटा सूमो गोल्ड	599359
24	सन्तकबीर नगर	यू0पी0-58-3500 टाटा सूमो गोल्ड	टाटा सूमो गोल्ड	599359
25	सन्तकबीर नगर	यू0पी0-58-9900	टाटा सूमो गोल्ड	599359
		योग	कुल- 25 वाहन	1,49,83,975

(रूपयें एक करोड़ उन्चास लाख तिरासी हजार नौ सौ पिचहत्तर मात्र)

(श्याम मोहन तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।